<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000042016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-174/16</u> संस्थापित दिनांक-10.06.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-	_
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—रामबाबू पुत्र चंदन	सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी
ग्राम पांडरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 05.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 294, 323 एवं 341 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 323, 341, 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मिथलेश बाई ने दिनांक 03.08.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को करीब दिन 02 बजे वह अपने पिता के घर भीलरी जा रही थी तभी उसका जेट रामबाबू यादव आया और उसने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया और जोर जबरदस्ती करने लगा और मना करने पर गंदी—गंदी गालियां देने लगा और बोला कि तेरा पित तो कुछ लायक नहीं है। जब वह जाने लगी तो वह उसका रास्ता रोककर खडा हो गया तथा फिर से मां—बहन की गाली देने लगा। फिर उसका भाई सुनील जो उसे लेने आया था वह वहां आ गया तो रामबाबू उसे धक्का देकर भाग गया जिससे वह गिर गई और उसे चोट आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 270/15 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 294, 323, 341 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 294, 323 एवं 341 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.08.2015 को समय दिन के 02.00 बजे ग्राम पाडरी सेहराई स्थित पठार के आमरास्ता कन्ना बंजारा के मकान के पास थाना चंदेरी पर फरियादिया मिथलेशबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मिथलेश बाई, अ.सा. 02 सुनील, अ.सा. 03 पुष्पेंद्र की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मिथलेश बाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है, वह उसके जेट हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसका आरोपी से ह ाटना दिनांक को झगडा हो गया था और मौके पर उसका भाई सुनील आ गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी और पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया था और जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। उक्त साक्षी ने प्रपी 03 का कथन देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 सुनील ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी बहन उसके घर पर आई थी और उसने आरोपी से झगडा होने के बारे में बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने घटना दिनांक को आरोपी को उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करते देखा। अ.सा. 03 पुष्पेंद्र जो कि फरियादिया का पति है ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी को उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करते देखा। अ.सा. 03 पुष्पेंद्र जो कि फरियादिया का पति है ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी से उसकी पत्नी का झगडा हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना

दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)